

मुकदमा संख्या \_\_\_\_\_

टेक्सस राज्य

§

FORT BEND COUNTY, TEXAS

बनाम

§

(फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के

§

§

द काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर \_\_\_\_\_ में

**गैर-संगीन (मिस्डमीनर) अपराध का आरोप स्वीकार करना (प्ली ऑफ़ गिल्टी)/ कोई दलील नहीं देना (नो कॉन्टेस्ट)  
MISDEMEANOR PLEA OF GUILTY / NO CONTEST**

अपराध, दंड का दायरा, समझौता याचिका (प्ली बार्गेन) पेश है प्रतिवादी, याचिका दायर करने से पहले कोर्ट को यहाँ निम्न प्रस्तुत करता है: मैं मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और योग्य हूँ और मुझ पर \_\_\_\_\_ के गैर-संगीन अपराध का आरोप लगा है, जिसकी सज़ा जुर्माना भरना है, जो \$ \_\_\_\_\_ से अधिक नहीं हो सकता, और या फ़ोर्ट बेंड काउंटी जेल की कैद है, जो \_\_\_\_\_ दिन/महीने से अधिक नहीं हो सकती।

**अधिकारों की अभिस्वीकृति।** मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे पास ये अधिकार हैं: मेरे दोषी या निर्दोष होने का फैसला करने, और दोषी पाए जाने पर, सज़ा का निर्धारण करने के लिए एक ज्यूरी का अधिकार; मेरी तरफ़ से गवाही देने के लिए गवाहों पर दबाव डालने का अधिकार; मुझ पर आरोप लगाने वालों का विरोध करने और उनसे जिरह करने का अधिकार; अभियोग पत्र और मुझ पर लगे आरोप भरी अदालत में पढ़कर सुनाए जाने का अधिकार; चुप रहने का अधिकार, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलूँगा/बोलूँगी उसका मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है; और मेरे एटॉर्नी के नियुक्त होने के बाद, याचिका दायर करने से पहले दस (10) दिन का वक्त पाने का अधिकार।

**अपील का सीमित अधिकार। प्रत्यक्ष और अतिरिक्त परिणाम।** मैं समझता/समझती हूँ, कि दोष स्वीकार करने या कोई दलील नहीं देने (प्ली ऑफ़ गिल्टी या नो कॉन्टेस्ट) की स्थिति में, और ज्यूरी ट्रायल के अपने अधिकार का परित्याग करने पर, कोर्ट बिना किसी साक्ष्य के दंड का निर्धारण कर सकता है; और यह भी कि अगर कोर्ट दंड निर्धारित करने में सहमति से तय करके दिए गए अनुरोध की सीमा पार नहीं करता है, तो मेरी सज़ा के खिलाफ़ अपील करने का मेरा अधिकार सिर्फ़ उन मुद्दों तक सीमित रहेगा जिन पर ट्रायल से पहले फैसला सुनाया गया हो और जो लिखित कार्रवाई द्वारा उठाए गए हों, जब तक कि कोर्ट अन्य मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दे देता; जैसा कि पहले बताया गया है, अगर मैं इस "अपील के सीमित अधिकार" का उपयोग करना चाहूँ, तो किसी एटॉर्नी द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का मुझे अधिकार है और यदि मैं अपनी याचिका दर्ज करने (रिकॉर्ड ऑफ़ अपील) या एटॉर्नी नियुक्त करने में आर्थिक रूप से असमर्थ हूँ, तो मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट एक एटॉर्नी नियुक्त करेगा, जो अपील के दौरान मेरा पक्ष रखेगा; यह भी कि "अपील के सीमित अधिकार" का उपयोग करने के लिए मेरे पास तीस (30) दिन का समय है; यह भी कि यदि मैं कम्प्यूनिटी सुपरविज़न (सामुदायिक निगरानी) या परोल पर हूँ तो मेरी दोष स्वीकार करने या कोई दलील नहीं देने की याचिका के कारण कम्प्यूनिटी सुपरविज़न या परोल रद्द हो सकता है और परिणामस्वरूप अतिरिक्त जेल हो सकती है; यह भी कि यदि मैं दोषी पाया जाता/जाती हूँ, तो किसी दूसरे मामले में दोषी पाए जाने पर इस मामले का इस्तेमाल करके मेरी सज़ा बढ़ाई जा सकती है; और यदि लागू हो, तो ड्राइव करने का मेरा अधिकार रद्द या निलंबित किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है; या प्रदान किए जाने से इनकार किया जा सकता है।

**प्रतिनिधित्व।** मैंने अपने एटॉर्नी के साथ, इस मामले को लेकर पूरी तरह से विचार-विमर्श कर लिया है और उन्होंने मुझे संतोषजनक तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए हैं।

**दावे का परित्याग।** अपने अधिकारों को पूरी तरह से जानते हुए, मैं जानते-बूझते औरस्वैच्छिक रूप से ऊपर लिखित अपने तमाम अधिकारों का परित्याग करता/करती हूँ, औरराज्य सरकार द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनके लिए **दोष स्वीकार करना /या कोई दलील नहीं देना** चाहता/चाहती हूँ; औरयह कि हर अतिरिक्त पैराग्राफ (अनुच्छेद) सच है।

**याचिका।** मैं भरी अदालत में, जानते-बूझते औरस्वेच्छा से सूचना में लगाए गए आरोप के लिए **दोष स्वीकार करने /कोई दलील नहीं देने** की अपनी याचिका दाखिल करता/करती हूँ औरकोर्ट से आग्रह करता/करती हूँ कि अभियोजक के साथ हुए मेरे याचिका समझौते (प्ली अग्रीमेंट) के आधार पर तत्काल इस केस पर अपना फ़ैसला सुनाएँ। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि अगरन्यायाधीश समझौता याचिका (प्ली बार्गेन) को नहीं मानते, तो मैं अपनी याचिका वापस ले सकता हूँ। यदि मैं उपरोक्त कागज़ी कार्रवाई में **दोष स्वीकार करने** की याचिका दाखिल करता/करती हूँ, तो मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि मैंने यह अपराध किया है, जैसा कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना में मुझ पर आरोप लगाया गया है औरयह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि सरकार की दलील में उल्लेखित सारी बातें सच हैं।

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

तारीख

इस दस्तावेज़ का अंग्रेज़ी से \_\_\_\_\_ में शब्दशः अनुवाद किया गया।

द्वारा: \_\_\_\_\_

अनुवादक का पूरा नाम (कृपया नाम लिखें)

अनुवादक के हस्ताक्षर

**वकील की अभिस्वीकृति।** मैंने प्रतिवादी के साथ परामर्श किया है, औरमैं मानता हूँ कि वह योग्य है औरमैंने उसे यहाँ दिए गए सब मुद्दों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है, औरइसमें आत्रजन संबंधी परिणाम भी शामिल हैं, यदि लागू होते हैं तो।

**नियुक्त वकील के रूप में।** मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने अनुच्छेद 26.04 (j) कोड ऑफ़ प्रैक्टिसिनल प्रोसीजर के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा किया, औरअदालत से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यवाही के खत्म होने पर मुझे एटॉर्नी ऑफ़िफ़िस की पोज़ीशन से हटने की अनुमति दी जाए।

वकील का नाम (कृपया लिखें)

प्रतिवादी के वकील के हस्ताक्षर / तारीख

**अभियोजक की सहमति औरज्यूरी के परित्याग का अनुमोदन** टेक्सस राज्य की ओरसे, मैं अधोहस्ताक्षरी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी, प्रतिवादी के ज्यूरी द्वारा ट्रायल के परित्याग पर स्वीकृति देता/देती हूँ, इससे सहमत हूँ, औरइसका अनुमोदन करता/करती हूँ।

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी, फ़ोर्ट बेंड काउंटी

तारीख

उक्त प्रतिवादी द्वारा \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ के इस \_\_\_\_\_ दिन, मेरे सामने शपथली गई औरहस्ताक्षर किए गए।

द्वारा: \_\_\_\_\_

डेप्युटी क्लर्क, फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस

**योग्यता के बारे में निष्कर्ष।** प्रतिवादी के व्यवहार औरजवाबों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी योग्य है औरजानते-बूझते, समझदारी से औरस्वेच्छा से ज्यूरी ट्रायल के अधिकार समेत उपर्युक्त अधिकारों का परित्याग कर रहा/रही है; औरजानते-बूझते, समझदारी से औरस्वेच्छा से यह याचिका दाखिल कर रहा/रही है।

बंदूक या गोला-बारूद रखने का अधिकार, नागरिकता, आब्रजन संबंधी परिणाम। मैंने प्रतिवादी को आरोपों की प्रकृति, औरदोष स्वीकार करने/कोई दलील नहीं देने के नतीजों औरअधिकारों के बारे में सूचित कर दिया है; जिसमें यह भी शामिल है: अगर अपराध में पारिवारिक हिंसा, टेक्सस फैमिली कोड, धारा 71.004 में दी गई इस शब्द/टर्म की परिभाषा के अनुसार, शामिल है, तो सेक्शन 46.04(b), टेक्सस पीनल कोड या 18 USC धारा 922 (g) (9) के अंतर्गत संघीय कानून के अनुसार, अपने पास बंदूक रखना या बंदूक खरीदना प्रतिवादी के लिए गैरकानूनी होगा औरइसमें पिस्तौल, लॉन्ग गन (लंबी नाल वाली बंदूक) या गोला-बारूद भी शामिल है।

- प्रतिवादी ने मुझे सूचित किया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का/की नागरिक है।
- प्रतिवादी ने मुझे सूचित किया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का/की नागरिक नहीं है औरमैंने प्रतिवादी को चेतावनी दी है कि अपराध का जो आरोप लगा है, उसके लिए दोष स्वीकार करने/कोई दलील नहीं देने का परिणाम संघीय कानून के तहत नागरिकता देने से इनकार किया जाना, इस देश में आने पर रोक लगाना या निर्वासन हो सकता है। प्रतिवादी औरवकील ने संलग्न की गई "अपराध स्वीकार करने (गिल्टी प्ली) के आब्रजन संबंधी नतीजों की अभिस्वीकृति" प्राप्त कर ली है, उसकी समीक्षा कर ली है औरउसपर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। टेक्सस कोड ऑफ़क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार, यह कोर्ट Fort Bend County Sheriff's Office (फ़ोर्ट बेंड काउंटी के शेरिफ़ के कार्यालय) औरया Fort Bend County Community Service and Corrections Department (फ़ोर्ट बेंड काउंटी कम्यूनिटी सुपरविज़न एण्ड करेक्शंस डिपार्ट्मन्ट) को **आदेश देता है** कि अगर प्रतिवादी की दलील टेक्सस कोड ऑफ़क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 2.25 के अंतर्गत आती हो, तो वे प्रतिवादी के बारे में उचित संघीय अधिकारियों को सूचित करें।

#### याचिका की स्वीकृति

- कोर्ट ने **पाया** कि सजा देने के विवेक के सार्थक इस्तेमाल के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त जानकारी मौजूद है औरप्रतिवादी का आग्रह है कि प्रीसेंटेंस इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट नबनाई जाए औरकोर्ट इस आग्रह को स्वीकार करता है।
- कोर्ट, **यह पाने पर** कि वकील नियुक्त किया गया है, टेक्सस दंड प्रक्रिया संहिता आर्टिकल 26.04(j) के अनुसार, वकील के वापसी के प्रस्ताव को **स्वीकार करता है** औरफ़ोर्ट बेंड काउंटी क्लर्क को वकील के प्रस्ताव औरकोर्ट के आदेश को रिकॉर्ड में दर्ज करने का **आदेश देता है**।

---

पीठासीन न्यायाधीश

---

हस्ताक्षर करने की तारीख

मुकदमा संख्या

टेक्सस राज्य § FORT BEND COUNTY, TEXAS  
§  
बनाम § (फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के  
§  
§ द काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर \_\_\_\_\_ में

प्रतिवादी के अपील के अधिकार पर ट्रायल कोर्ट का प्रमाणीकरण\*  
TRIAL COURT'S CERTIFICATION OF DEFENDANT'S RIGHT TO APPEAL\*

मैं, ट्रायल कोर्ट का/की न्यायाधीश प्रमाणित करता/करती हूँ की यह आपराधिक मामला:

- एकप्ली बार्गेन (प्रतिवादी और अभियोग पक्ष के वकील के बीच समझौता) मामला नहीं है और प्रतिवादी को अपील करने का अधिकार है, [या]
- एकप्ली बार्गेन मामला है लेकिन मामले को लिखित प्रस्ताव द्वारा दायर किया गया और ट्रायल से पहले फैसला सुनाया गया और उसे वापस नहीं लिया गया या माफ नहीं किया गया है, और प्रतिवादी को अपील का अधिकार है, [या]
- एकप्ली बार्गेन मामला है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अपील की अनुमति दी है और प्रतिवादी को अपील का अधिकार है, [या]
- एकप्ली बार्गेन मामला है और प्रतिवादी को अपील का अधिकार 'नहीं' है, [और/या]
- प्रतिवादी ने अपील का अपना अधिकार छोड़ दिया है।

पीठासीन न्यायाधीश

तारीख

मुझे प्रमाणीकरण की एक प्रति मिल गई है। मुझे इस आपराधिक मामले में किसी भी अपील से जुड़े अधिकारों के बारे में भी बताया गया है जिसमें विवेकाधीन समीक्षा के लिए *pro se* याचिका (प्रो से याचिका) यानी अपने लिए या अपनी ओर से अपील करने का अधिकार है। यह अपील, Texas Rules of Appellate Procedure (अपीलीय प्रक्रिया का टेक्सस नियम) के नियम 68 के मुताबिक की जा सकती है। मुझे यह भी चेताया गया है कि मेरे एटॉर्नी मुझे अपीलीय कोर्ट के फैसले और विचार की एक-एक प्रति मेरे अंतिम ज्ञात पते पर डाक से अवश्य भेजेंगे। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि अपीलीय कोर्ट में विवेकाधीन समीक्षा के लिए *pro se* याचिका दायर करने के लिए मेरे पास सिर्फ 30 दिन का समय है। Tex. R. App. P. 68.2. मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि यदि मैं इस मामले में अपील करना चाहता/चाहती हूँ और यदि मैं ऐसा करने का/की हकदार हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने अपीलीय एटॉर्नी को इस बार में लिखित में सूचित करूँ अगर, मेरे वर्तमान पते में जिसमें मैं फ़िलहाल रह रहा/रही हूँ, किसी तरह का बदलाव होता है या मेरी वर्तमान जेल यूनिट में कोई बदलाव होता है। मैं समझता/समझती हूँ कि अपीलीय समयसीमा के कारण अगर मैं अपने अपीलीय एटॉर्नी को समय रहते अपने पते में किसी बदलाव के बारे में सूचित नहीं कर पाता/पाती हूँ, तो मैं विवेकाधीन समीक्षा के लिए *pro se* याचिका दायर करने का अवसर गँवा सकता/सकती हूँ।

प्रतिवादी

प्रतिवादी के वकील

डाक का पता

State Bar of Texas (टेक्सास स्टेट बार) ID (पहचान)

नंबर

टेलीफोन नंबर

डाक का पता

फैक्स नंबर (यदि कोई है)

टेलीफोन नंबर

ईमेल (यदि कोई है)

फैक्स नंबर (यदि कोई है)

\*आपराधिक मामले में एकप्रतिवादी को इन नियमों के अंतर्गत अपील करने का अधिकार है। जिस किसी मामले में ट्रायल कोर्ट दोषी होने का निर्णय सुनाता है या अपील किए जा सकने वाले किसी अन्य ऑर्डर में, ट्रायल कोर्ट, प्रतिवादी के अपील करने के अधिकार का सर्टिफिकेशन दर्ज करेगा। एकप्ली बार्गेन मामला यानी ऐसा मामला जिसमें प्रतिवादी की दलील दोषी या कोई दलील नहीं (guilty or no contest) है औरसजा अभियोग पक्ष के वकील द्वारा प्रस्तावित सजा से ज्यादा नहीं थी औरप्रतिवादी द्वारा स्वीकृत थी, एकप्रतिवादी सिर्फ तभी अपील कर सकता है: (A) वह मामले जो लिखित प्रस्ताव दर्ज कर द्वारा उठाए गए थे औरजिनमें फैसला ट्रायल से पहले सुनाया गया था, या (B) अपील करने के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद। TEXAS RULE OF APPELLATE PROCEDURE 25.2(a)(2).

मुकदमा संख्या \_\_\_\_\_

टेक्सस राज्य § FORT BEND COUNTY, TEXAS  
§  
बनाम § (फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) \_\_\_\_\_ के  
§  
\_\_\_\_\_ § द काउंटी कोर्ट एट लॉ \_\_\_\_\_ में

शपथपत्र

**AFFIDAVIT**

I. प्रोबेशन के लिए प्रतिवादी का आवेदन

मैं, अधोहस्ताक्षरी, यहां प्रतिवादी, ट्रायल से पहले प्रोबेशन के लिए लिखित आवेदन दायर करता/करती हूँ, और शपथलेता/लेती हूँ:

- A. कि मैं इस न्यायिक क्षेत्र या किसी दूसरे न्यायिक क्षेत्र में किसी संगीन या गैर-संगीन अपराध में कभी भी दोषी करार नहीं दिया गया/गई हूँ, जिसकी उचित अधिकतम सजा जेल है या दो सौ डॉलर (\$200.00) से ज्यादा जुर्माना, निम्नलिखित को छोड़कर: \_\_\_\_\_
- B. कि मुझे पिछले पाँच (5) सालों के दौरान टेक्सस गैर-संगीन अपराध प्रोबेशन कानून के अंतर्गत या किसी अन्य प्रोबेशन कानून के अन्तर्गत मुझे प्रोबेशन नहीं दिया गया है, निम्नलिखित को छोड़कर: \_\_\_\_\_
- C. कि मैंने इस आवेदन को पढ़ा है और मैं यह स्वीकार करता हूँ और समझता हूँ कि मुझे प्रोबेशन के ऐसे उचित नियमों और शर्तों पर रखा जाएगा, जैसा कि कोर्ट को ज़रूरी लगे और जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है और इसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मेरे एटॉर्नी के लिए फ़ोर्ट बेंड काउंटी को पैसे वापस करना शामिल है, अगर कोर्ट ने यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए एटॉर्नी नियुक्त किया हो तो; और मैं इस बात के लिए अपनी सहमति देता हूँ कि प्रोबेशन के ऐसे सभी नियमों और शर्तों का पालन करूँगा।

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

तारीख

मेरे समक्ष, अधोहस्ताक्षरी फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस के काउंटी क्लर्क, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_, उपर्युक्त वर्णित मामला क्रमांक में प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ और भरी कोर्ट में, मेरे द्वारा शपथदिलाए जाने के बाद इस दस्तावेज़ पर बताई गई जगहों पर हस्ताक्षर किए हैं और माना है कि यहाँ दिए गए तथ्य सच्चे और सही हैं।

लॉरा रिचर्ड, काउंटी क्लर्क

फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस

द्वारा: \_\_\_\_\_

डेप्युटी

स्वीकृत \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को.

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी

प्रतिवादी के एटॉर्नी

मुकदमा संख्या

टेक्सस राज्य

§  
§  
§  
§  
§

FORT BEND COUNTY, TEXAS

बनाम

(फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के

द काउंटी कोर्ट ऐट लाँ नंबर \_\_\_\_\_ में

कम्यूनिटी सुपरविज़न (प्रोबेशन) पर रखे गए प्रतिवादी के लिए

न्यायिक क्षमादान नोटिस

**NOTICE OF JUDICIAL CLEMENCY FOR DEPENDANTS PLACED ON COMMUNITY SUPERVISION  
(PROBATION)**

आपको सूचित किया जाता है कि यदि कोर्ट तय करता है कि आपने कम्यूनिटी सुपरविज़न (इससे आगे "प्रोबेशन") की शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है, आपके प्रोबेशन समाप्त पर, यदि कुछ खास आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं तो आफ़ोर्ट से न्यायिक क्षमादान प्राप्त करने के योग्य हो सकते/सकती हैं।

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुच्छेद 42A.701 के अंतर्गत कोर्ट आपका प्रोबेशन समाप्त करने के लिए न्यायिक क्षमादान के प्रयोग के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है यदि:

1. कोर्ट यह तय करता है कि आपने अपने प्रोबेशन की शर्तों को संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिया है;
2. आपके प्रोबेशन की अवधि समाप्त हो गई है जिसमें आपके प्रोबेशन की संशोधित और खदली हुई अवधि भी शामिल है;
3. कोर्ट आपको आपके प्रोबेशन से मुक्त करता है; और
4. कोर्ट आपके मामले में फैसला सुनाता है या आपको अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देता है।

अगर उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं, तो कोर्ट इसके लिए अधिकृत है कि आपके खिलाफ आरोप, शिकायत, सूचना या अभियोग खारिज़ कर सके और आपको अपनी सजा या दलील के परिणामस्वरूप सभी जुर्माने और अक्षमताओं से बरी कर सके। हालाँकि यदि कोर्ट आपको आपकी सजा या याचिका के परिणामों से बरी करता है और यदि बाद में आप किसी अन्य अपराध में दोषी ठहराए जाते/जाती हैं तो आपकी सजा या याचिका न्यायाधीश को बताई जाएगी और अगर आप Department of Family and Protective Services (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ैमिली एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज़) (इससे आगे "विभाग") द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के आवेदनकर्ता या धारक हैं तो लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने, जारी करने से इनकार करने या आवेदन रद्द करने में एक कारक के रूप में विभाग इस बात पर विचार कर सकता है कि आपको पहले प्रोबेशन मिला है।

इस \_\_\_\_\_ दिन, माह \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_ को हस्ताक्षरित.

पीठासीन न्यायाधीश

इन मामलों में दोषी प्रतिवादी: विशेष अपराध जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल (धारा 49.04-49.08, CCP) शामिल है, सेक्स अपराधी के रूप में जिसमें अपराध रजिस्टर्ड हो, अनुच्छेद 42A.054, CCP द्वारा बताए गए संगीन अपराध में दोषी प्रतिवादी इसचेतावनी और न्यायाधीश से न्यायिक क्षमादान के हकदार नहीं है।

मुकदमा संख्या \_\_\_\_\_

टेक्सस राज्य

§

FORT BEND COUNTY, TEXAS

बनाम

§

(फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) के

§

द काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर \_\_\_\_\_ में

§

कम्युनिटी सुपरविज़न प्रोबेशन का आदेश

### ORDER OF COMMUNITY SUPERVISION PROBATION

इस \_\_\_\_\_ दिन, \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_ को प्रतिवादी ने खुद व्यक्तिगत रूप से (और एटॉर्नी के साथ) औरभरी कोर्ट में एक गैर-संगीन (मिस्डमीनर) अपराध, जैसा कि सूचना में आरोप लगाया गया है, \_\_\_\_\_ के आरोप में अपनी दोषी होने/ नोलो कॉन्टेडरे (आरोप स्वीकार या अस्वीकार किए बिना सज़ा स्वीकार करना) की याचिका दायर की है। कोर्ट ने प्रतिवादी की याचिका स्वीकार की है औरराज्य व प्रतिवादी के द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों व वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद, जैसा कि कथित तौर पर सूचना में आरोप लगाया गया था औरजिसका सबूत मौजूद है, प्रतिवादी को गैर-संगीन अपराध का दोषी पाया है। कोर्ट प्रतिवादी पर \$ \_\_\_\_\_ का जुर्माना लगाता है औरFort Bend County Jail (जेल) में \_\_\_\_\_ दिन कारावास की सजा देता है। इसके साथ ही प्रतिवादी को दूसरे सभी खर्च भी उठाने होंगे।

हालाँकि कोर्ट के संज्ञान में यह बात है कि इस मुकदमे के पहले प्रतिवादी ने कोर्ट में शपथपूर्वक प्रोबेशन के लिए लिखित आवेदन दिया था। कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचा है कि प्रतिवादी टेक्सस के मिस्डमीनर प्रोबेशन लॉ ऑफ़टेक्सस (Misdemeanor Probation Law of Texas) के तहत प्रोबेशन पाने के लिए जरूरी सभी शर्तों पर खरा उतरता है। न्याय के लिए औरप्रतिवादी व समाज के हित में इस मामले में प्रतिवादी प्रोबेशन पर रहेगा।

इसलिए, कोर्ट के द्वारा विचारित, आदेशित औरघोषित किया जाता है कि इस मामले में प्रतिवादी को आजकी तारीख से \_\_\_\_\_ माह की अवधि के लिए प्रोबेशन पर निम्नलिखित नियम औरशर्तों पर रखा जा रहा है, अर्थात्, प्रोबेशन की अवधि के दौरान प्रतिवादी:

1. इस राज्य या अमेरिका के किसी राज्य के कानून के खिलाफ कोई अपराध नहीं करेगा;
2. घातक औरअनैतिक आदतों से दूर रहेगा। आप्रतिबंधित चीजों, घातक ड्रग्स, मारिजुआना या ऐसी कोई भी दवा, जो आपको कानूनन नहीं दी गई है, अपने पास नहीं रखेंगे औरना ही इनका इस्तेमाल या सेवन करेंगे;
  - मादक पेय पदार्थों का न तो आंफ़्स्तेमाल करेंगे औरन ही उन्हें अपने पास रखेंगे।
3. बदनाम लोगों या स्थानों या नुकसान पहुँचाने वाले लोगों से दूर रहेंगे (इसमें ऐसी जगहों पर बार-बार जाना भी शामिल है जहाँ नशीले पेय पदार्थ बेचे जाते हैं या परोसे जाते हैं);
4. Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department (फोर्ट बेंड काउंटी कम्युनिटी सुपरविज़न एण्ड करेक्शंस डिपार्ट्मन्ट) में आजकी तारीख औरइसके बाद हर महीने इसी तारीख को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान व्यक्तिगत रूप से या जैसा कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर निर्देशित करेगा, आपउपस्थित होंगे बशर्ते आपके कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर आपको कोई दूसरी



तारीख नहीं दे देते। Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के सभी नियम और शर्तों का पालन करेंगे;

5. आफ्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर को अपने घर, नौकरी की जगह या कहीं और आकस्मात्से मिलने की इजाजत देंगे;
6. Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के सभी नियम और शर्तों का पालन करेंगे। Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के किसी भी कार्यालय या परिसर में आपालत आचरणों को दूर रखेंगे। गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही शांति भंग करेंगे;
7. जहां तक संभव होगा विश्वसनीयतापूर्वक उपयुक्त नौकरी करेंगे और अपने क्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर को हर हाज़री के दिन नौकरी का लिखित में प्रमाण देंगे (नौकरी पाने के लिए सभी कोशिशों सहित)। नौकरी बदलने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर अपने क्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर को आफ्म्यूनिटी सूचना देंगे;
8. अगर आपने अपने क्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर के मार्फत कोर्ट से राज्य छोड़ने की पूर्व इजाजत नहीं ली है तो आफ्म्यूनिटी करेक्शंस राज्य की सीमा से बाहर न जाएँ। अगर आपने अपने क्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर के मार्फत कोर्ट से निवास स्थान बदलने की इजाजत नहीं ली है तो अपना निवास स्थान नहीं बदलेंगे;
9. अपने आश्रितों की आपमदद करेंगे और कोर्ट द्वारा आदेशित बच्चों की देखरेख से संबंधित सभी भुगतान चालू रखेंगे। बच्चों की देखरेख के लिए जरूरी भुगतान के लिए कोर्ट के सभी आदेशों की प्रमाणित प्रति अपने क्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर को उपलब्ध कराएँगे;
10. आजकी तारीख और इसके बाद हर महीने आजकी के दिन अपने प्रोबेशन के दरमियान Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान \$50.00 का भुगतान Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department को करेंगे। सभी भुगतान मनीऑर्डर या कैशियर चेक के रूप में किए जाएँगे। निजी चेक स्वीकार नहीं किए जाएँगे;
11. जब भी आफ्म्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर से मिलेंगे, उन्हें पूरी तरह से भरी हुई और हस्ताक्षरित "प्रोबेशनर्स मासिक रिपोर्ट" सौंपेंगे;
12. Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के द्वारा मादक और या नशीले पदार्थों के सेवन की जाँच के लिए आपका कभी भी परीक्षण किया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए शुल्क का भुगतान आफ्म्यूनिटी करेक्शंस Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department को करेंगे और वह भी परीक्षण के लिए नमूना देने के दस (10) दिन के अंदर;
13. फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस के काउंटी क्लर्क को \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ या उससे पहले कोर्ट खर्च के रूप में \$ \_\_\_\_\_ का भुगतान करें,
14. फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस के काउंटी क्लर्क के जरिए अपने जुर्माने की राशि का भुगतान \$ \_\_\_\_\_, प्रति महीने \$ \_\_\_\_\_ की दर से करें। पहला भुगतान \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को/या उससे पहले बकाया और देय है, और जब तक कि पूरे जुर्माने का भुगतान नहीं हो जाता हर महीने इसी तारीख को \$ \_\_\_\_\_ का भुगतान करें;
15. \$ \_\_\_\_\_ के मुआवजे का भुगतान \$ \_\_\_\_\_ की बराबर किस्तों में करें। इसका पहला भुगतान \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को देय है, और इसी राशि की किस्तें हर महीने की इसी तारीख को तब तक देनी है जब तक कि भुगतान पूरा नहीं हो जाता। उपर्युक्त भुगतान Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के जरिए जमा करना होगा;

16. फ़ोर्ट बेंड काउंटी को कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील के खर्चे के रूप में \$ \_\_\_\_\_ की रकम दें; यह रकम फ़ोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस के काउंटी क्लर्क के जरिए \$ \_\_\_\_\_ प्रति माह की दर से होगी, जिसकी शुरुआत \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन से होगी और इसी तरह भुगतान हर महीने की इसी तारीख को तब तक होगा, जब तक की भुगतान पूरा नहीं हो जाता।
17. प्रतिवादी को \$50.00 का एकमुश्त भुगतान स्थानीय "क्राइम स्टॉपर्स" | "Fort Bend County Women's Center (फोर्ट बेंड काउंटी वुमन सेंटर)" | "Fort Bend Partnership for Youth program (फोर्ट बेंड पार्टनरशिप फॉर यूथ प्रोग्राम)" | "Behind the Badge Charities (बिहाइंड द बैज चैरिटी)" को करना होगा। यहाँ उल्लेखित भुगतान तारीख \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ को देय होगा और Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के जरिए दिया जाएगा;
18. अच्छे व्यवहार के लिए मिलने वाले फ़ायदे के बिना प्रतिवादी को \_\_\_\_\_ दिन की सजा फ़ोर्ट बेंड काउंटी जेल में काटनी होगी। यह सजा नीचे दिए गए निर्देशों के मुताबिक:
- \_\_\_\_\_ तुरंत प्रभाव से शुरू/ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन; या
- \_\_\_\_\_ सप्ताहांत \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ am /pm से शुरू होकर \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ am /pm तक और इसके बाद सज़ा पूरी होने तक हर सप्ताह जारी रहेगी; या
- \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ pm से शुरू और अगले दिन \_\_\_\_\_ am तक और हर रोज़ शाम को इसी समय तक जारी रहेगी, जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती;
- अगर प्रतिवादी तय तारीख और तय समय पर Fort Bend County Jail में उपस्थित नहीं होता, तो बिना नोटिस के प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा और जेल की बाकी अवधि सप्ताहांत या शामों की नहीं होगी बल्कि पूरे सप्ताह की होगी और तब तक चलेगी जब तक कि वह सजा पूरी न कर ले;
19. प्रतिवादी को कम्युनिटी सर्विस रेस्ट्रिक्शन को ऑर्डनैटर द्वारा निर्धारित कम्युनिटी सर्विस रेस्ट्रिक्शन के \_\_\_\_\_ घंटे फ़ोर्ट बेंड काउंटी, के लिए करने होंगे और यह 4 घंटे प्रति सप्ताह/16 घंटे प्रति महीने से कम नहीं होंगे, और यह कम्युनिटी सर्विस इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अंदर ही शुरू होगी। ये घंटे \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन तक पूरे करने होंगे;
20. इस आदेश के 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी एजेंसी से मादक/ नशीले पदार्थ का मूल्यांकन पूरा करवाना होगा, जो यह काम करती हो। अगर इलाज जरूरी हो तो प्रतिवादी को इलाज से संबंधित सभी नियमों व निर्देशों, जो एजेंसी ने तय किए होंगे, का पालन करना होगा। साथ ही, ऐसी सेवाएँ देने के लिए जो खर्चा होगा, उसे वहन करना होगा। प्रतिवादी को तब तक यह इलाज लेना होगा, जब तक कि सफलतापूर्वक पूरा न हो जाए, जैसा कि प्रतिवादी के वकील और कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर ने लिख कर दिया है;
21. इस आदेश के 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी एजेंसी से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पूरा करवाना होगा, जो ऐसी सेवाएँ प्रदान करती हो। अगर इलाज जरूरी हो तो प्रतिवादी को इलाज से संबंधित सभी नियमों व निर्देशों, जो एजेंसी ने तय किए होंगे, का पालन करना होगा। साथ ही, ऐसी सेवाएँ देने के लिए जो खर्चा होगा, उसे वहन करना होगा। प्रतिवादी को तब तक यह इलाज लेना होगा, जब तक कि सफलतापूर्वक पूरा न हो जाए, जैसा कि प्रतिवादी के वकील और कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर ने लिख कर दिया है;

22. इस आदेश के 30 दिनों के अंदर Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department की "लिटरेसी लैब (साक्षरता लैब)" द्वारा एक मूल्यांकन पूरा करना होगा। अगर योग्यता का औसत अनुच्छेद 42.12 की धारा 11 (c) के अनुरूप नहीं होगा, तो प्रतिवादी को इस कोर्ट के न्यायाधीश की मंजूरी के साथ Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के निर्देश पर एक शैक्षणिक प्रोग्राम में तब तक भाग लेना होगा जब तक कि जरूरी योग्यता का स्तर पा नहीं लिया जाता;
23. अगर प्रतिवादी जुर्माना, कोर्ट खर्चा या एटॉर्नी की फीस तुरंत न देकर इस आदेश के 30 दिन के बाद देना चाहता है, तो प्रतिवादी को फोर्ट बेंड काउंटी के काउंटी क्लर्क को \$2.50 का भुगतान करना होगा;
24. इस आदेश के \_\_\_\_\_ दिनों के भीतर प्रतिवादी को पीड़ित के नाम माफी का एक पत्र लिखना होगा और उसे फोर्ट बेंड कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर के पास जमा करके उसकी मंजूरी लेनी होगी; Rev. 0610 19
25. प्रतिवादी को फोर्ड बेंड काउंटी कम्युनिटी सुपरविजन एण्ड करेक्शंस के ( ) दिमागी कमजोरी; ( ) युवा अपराधी; ( ) मादक द्रव्यों का सेवन; ( ) यौन अपराधी कार्यक्रम में उस अवधि के लिए भाग लेना होगा जो Community Supervision and Corrections Department तय करेगा हालांकि यह अवधि दो (2) साल से ज्यादा की नहीं होगी।
26. न तो व्यक्तिगत रूप से, न ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा, न ही लिखित में, न ही किसी तीसरे पक्ष के द्वारा या अन्यथा \_\_\_\_\_ से संपर्क नहीं करेगा

27. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

आपको यह सूचित किया जाता है कि इस राज्य के कानून के अनुसार, कोर्ट प्रोबेशन के नियमों व शर्तों को तय करेगा और प्रोबेशन के दौरान किसी भी समय वह इन नियमों व शर्तों में हेरफेर कर सकता है या बदल सकता है।

मैं, यानी प्रतिवादी स्वीकार करता/करती हूँ कि मुझे प्रोबेशन के नियमों व शर्तों की एक प्रति मिल गई है और मेरे एटॉर्नी ने नियमों व शर्तों के बारे में मुझे विस्तार से बताया है और मैं प्रोबेशन की शर्तों को समझता/समझती हूँ, मैंने \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को हस्ताक्षर किए हैं

पीठासीन न्यायाधीश

प्रतिवादी के दाहिने अंगूठे का निशान

प्रतिवादी के हस्ताक्षर/तारीख

द्वारा हस्ताक्षर लिए गए:

---

नाम/ टाइटल/तारीख

मैंने प्रतिवादी को प्रोबेशन की शर्तों को विस्तार से समझा दिया  
है और प्रतिवादी इन्हें समझता है।

---

प्रतिवादी का एटॉर्नी/तारीख

---

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी/तारीख

## कम्यूनिटी सुपरविज़न के नियमों के लिए खास परिशिष्ट

### SPECIAL ADDENDUM TO TERMS OF COMMUNITY SUPERVISION

\_\_\_\_\_ नियम A. इस आदेश के 180 दिनों के भीतर, टेक्सस कमिशन ऑनअल्कोहल एण्ड ड्रग अब्यूज़, Department of Public Safety (डिपार्ट्मेंट ऑफ़ पब्लिक सैफ्टी) और आपके कम्यूनिटी सुपरविज़न ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत एक शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने और या गैरकानूनी पदार्थों में लिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए बनाया गया है, जैसे, **TEXAS DWI EDUCATION PROGRAM (टेक्सस DWI (मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाना) एजुकेशन प्रोग्राम); ( ) TEXAS DWI INTERVENTION REPEAT OFFENDER PROGRAM (टेक्सस DWI इंटरवेंशन रिपीट ऑफेंडर प्रोग्राम); ( ) TEXAS DRUG OFFENDER EDUCATION PROGRAM (टेक्सस ड्रग ऑफेंडर एजुकेशन प्रोग्राम)** में हिस्सा लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा; और इसके खर्च को वहन करना होगा और अपने ऑफिसर को कार्यक्रम में नियमित रूप से शामिल होने का संतोषजनक लिखित साक्ष्य देना होगा।

\_\_\_\_\_ नियम B. प्रतिवादी को अपने खर्च पर Department of Public Safety (डिपार्ट्मेंट ऑफ़ पब्लिक सैफ्टी) द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी से इस्तेमाल के लिए स्वीकृत कैमरा युक्त **इग्निशन इंटरलॉक** डिवाइस लेना, लगवाना और चालू रखना होगा। जैसा कि कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुच्छेद 42.12 की धारा 13 (i) में कहा गया है को छोड़कर प्रतिवादी जितने भी वाहन प्रयोग में लाते हैं, उन सभी वाहनों में उसे इस आदेश के 30 दिनों के अंदर इंटरलॉक उपकरण लगवाना होगा। प्रतिवादी को ऊपर बताए गए अल्कोहल इंटरलॉक उपकरण का \_\_\_\_\_ महीने का शुल्क और खर्च देना होगा। इसके अलावा, प्रतिवादी को इंटरलॉक पाने, उसे लगवाने, चालू रखने और उपयोग से संबंधित, जितने भी नियम व कानून हैं, सबका पालन करना होगा। प्रतिवादी इस बात से सहमत है Community Supervision Department (कम्यूनिटी सुपरविज़न डिपार्ट्मेंट) के अनुरोध पर वह उस इंटरलॉक उपकरण को दिखाएगा;

- प्रतिवादी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस न होने या उसके पास चालू हालत में मोटर वाहन न होने की स्थिति में, नियम H लागू करने की जरूरत होगी और यह उसी समयावधि के लिए लागू होगा जिसके लिए नियम B लागू है।

\_\_\_\_\_ नियम C. इस आदेश के 60 दिनों के अंदर प्रतिवादी को Texas Department of Public Safety (टेक्सस डिपार्ट्मेंट ऑफ़ पब्लिक सैफ्टी) द्वारा जारी **रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स लाइसेंस (प्रतिबंधित चालक का लाइसेंस)** होने का सबूत दिखाना होगा जो प्रतिवादी को ऐसी मोटर वाहन चलाने की इजाजत देता है जो डीप-लंग ब्रेथ एनालिसिस मैकेनिज़म (गहरी-फेफड़ों की सांस विश्लेषण तंत्र) से लैस होगा। अगर प्रतिवादी यहां दी गई समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं कर पाता तो प्रतिवादी को अपना मौजूदा ड्राइवर लाइसेंस अधिकृत Community Supervision Officer (कम्यूनिटी सुपरविज़न ऑफिसर) के पास जमा करना होगा और प्रतिवादी की वाहन चलाने की आज़ादी उस समय तक के लिए छीन ली जाएगी, जब तक कि वह रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर लाइसेंस पा नहीं लेता।

\_\_\_\_\_ नियम D. प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के निर्देशानुसार \_\_\_\_\_ महीनों के लिए हर हफ्ते \_\_\_\_\_ Alcoholics Anonymous (अल्कोहॉलिक्स अनोनिमस)/ NA (नारकोटिक्स अनोनिमस) /CA (कोकेन अनोनिमस) मीटिंग में हिस्सा लेना होगा और अपनी हर ऑफिसर विज़िट पर सुपरवाइज़िंग अधिकारी को इसका सबूत देना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम E. Fort Bend Community Corrections Officer (फोर्ट बेंड कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर) द्वारा स्वीकृत एजेंसी में इस आदेश के 180 दिनों के भीतर प्रतिवादी को "Victim Impact Panel (मादक पदार्थों का सेवन करने वालों से पीड़ितों के लिए समुदाय आधारित बैठक)" में हिस्सा लेना और उसे पूरा करना होगा और इसके लिए जरूरी जो भी शुल्क होगा वह चुकाना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम F. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के जरिए "Prison Deterrence Education Program (प्रिज़न डेटरेंस एजुकेशन प्रोग्राम)" में भाग लेना होगा, भागीदारी करनी होगी और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम G. इस आदेश के 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के निर्देश पर निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्यक्रमों में शामिल होना होगा, भागीदारी करनी होगी और सफलतापूर्वक इसे पूरा करना होगा;

- |                          |                               |   |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <b>घरेलू हिंसा</b>            | कार्यक्रम _____ दिनों के भीतर पूरा करें |
| <input type="checkbox"/> | <b>क्रोध प्रबंधन</b>          | कार्यक्रम _____ दिनों के भीतर पूरा करें |
| <input type="checkbox"/> | <b>चोरी-रोधक (ऐंटी थेफ्ट)</b> | कार्यक्रम _____ दिनों के भीतर पूरा करें |

\_\_\_\_\_ नियम H. इस आदेश के पारित होने के 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को फोर्ट बेंड कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी का "इन-होम इंटरलॉक डिवाइस"

अपने घर पर \_\_\_\_\_ दिन की अवधि के लिए लगाना होगा और यह अवधि तारीख \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को खत्म होगी और डिवाइस को लगवाने का खर्च वहन करना होगा; प्रतिवादी को ऊपर लिखित कार्यक्रम के सभी नियम और शर्तों का पालन करना होगा \_\_\_\_\_ नियम I. प्रतिवादी निम्न पते \_\_\_\_\_ पर Fort

Bend County Community Supervision and Corrections Department की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक/सैटेलाइट की निगरानी में अपने घर के अंदर ही रहेगा जिसकी शुरुआत \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन से होगी और निम्न परिस्थितियों को छोड़कर वह पूरे समय घर के अंदर ही रहेगा, अर्थात: (1) कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर की अनुमति से नौकरी या काउंसलिंग के उद्देश्य से या (2) तय व्यवस्था के मुताबिक कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर के पास हाजिरी देने के उद्देश्य से; और इसी के साथ प्रतिवादी इन सब पर जो खर्च आएगा या जो रकम जमा करने की जरूरत होगी, यहां उल्लेखित डिपार्टमेंट को प्रतिवादी, उसका भुगतान करेगा;

\_\_\_\_\_ नियम J. प्रतिवादी को \_\_\_\_\_ a.m. से \_\_\_\_\_ p.m. तक **होम कर्फ्यू** का पालन करना होगा। कामकाज निपटाने और अपने कम्युनिटी करेक्शंस ऑफिसर को पहले से सबूत पेश करने पर इसमें छूट मिल सकती है।

मैं, यानी प्रतिवादी स्वीकार करता/करती हूँ कि मुझे प्रोबेशन की शर्तों के खास परिशिष्ट की एक प्रति मिल गई है, मेरे एटॉर्नी ने सारे नियमों को मुझे समझा दिया है और मैं प्रोबेशन के सारे नियमों को समझ चुका/चुकी हूँ। \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को हस्ताक्षरित

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

तारीख

प्रतिवादी के एटॉर्नी

तारीख

पीठासीन न्यायाधीश

तारीख

मुकदमा संख्या \_\_\_\_\_

टेक्सस राज्य § FORT BEND COUNTY, TEXAS  
§  
बनाम § (फोर्ट बेंड काउंटी, टेक्सस) \_\_\_\_\_ के  
§  
§ द काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर \_\_\_\_\_ में

**गिल्टी प्ली (दोष स्वीकारने की दलील) के इमीग्रेशन (आव्रजन) संबंधी परिणामों के बारे में स्वीकृति  
ACKNOWLEDGMENT REGARDING IMMIGRATION CONSEQUENCES OF A GUILTY PLEA**

मैं, \_\_\_\_\_, ऊपर दिए गए मामले में प्रतिवादी यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का/की नागरिक नहीं हूँ। मैं इसकी पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे एटॉर्नी या आव्रजन (इमिग्रेशन) एटॉर्नी ने मुझे इस मामले में दोष स्वीकारने (pleading guilty) या कोई दलील नहीं (no contest) के परिणामों को लेकर संघीय कानून के आवेदन का सुझाव दिया है। नीचे किए गए मेरे हस्ताक्षर द्वारा, मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि मैं समझता/समझती हूँ कि नीचे वर्णित संघीय कानून कैसे लागू होता है; मैं इस मामले के अपराध में अपनी दलील के परिणामों और कानून को समझता/समझती हूँ, और मैं समझदारी से, जानते-बूझते और स्वेच्छा से इस मामले में अपनी दलील पर कायम हूँ।

**इमीग्रेशन उद्देश्यों के लिहाज़ से, सभी गिल्टी प्ली का मतलब है दोषी करार होना**

Immigration and Nationality Act (आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम) के अंतर्गत प्रत्येक दोष स्वीकारने की दलील जिसमें दंड का प्रावधान है, एक सजा है। इसलिए आव्रजन उद्देश्यों के लिए **स्थगित निर्णय भी एक सजा है।**

**वे सभी व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, आव्रजन प्रभावों के अधीन हैं**

कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक नहीं है उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकाले जाने वाले लोगों में इस प्रकार के लोग शामिल हैं, लेकिन यह सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है:

- वैध स्थायी निवासी (जैसे, ग्रीन कार्ड धारी);
- वीज़ा रखने वाले वे लोग जिन्हें वैध रूप से प्रवेश दिया गया था;
- लोग जो बिना जाँच-पड़ताल के दाखिल हुए; और
- सभी अन्य लोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक नहीं हैं।

**लागू संघीय कानून**

मुझे विस्तार से समझाए गए संघीय कानून में निम्न शामिल है, लेकिन यह सिर्फ इस तक सीमित नहीं है: (1) 8 USC अध्याय 12, उपअध्याय II- इमिग्रेशन (आव्रजन); (2) 8 USC §1227 - Deportable Aliens (निर्वासित किए जा सकने वाले अजनबी); (3) 8 USC § 1229b – Cancellation of removal; adjustment of status (बाहर निकाला जाना रद्द करना; दर्जे में सुधार); और (4) 8 USC § 1182 – Inadmissible Aliens (अस्वीकार्य अजनबी)

**प्रतिवादी की अभिस्वीकृति**

आगे मैं इस बात की भी पुष्टि करता/करती हूँ कि लागू संघीय कानून के बावजूद मैं **दोष स्वीकारने/कोई दलील नहीं** की दलील पर अभी भी कायम रहूँगा/रहूँगी क्योंकि इस मामले में मेरी न्यायिक स्वीकारोक्ति सही है और क्योंकि इस मामले में अनुशंसा दलील निष्पक्ष व

स्वीकार्य है औरदोनों ही मुझे मंजूर हैं। यहाँ तककि इसके परिणास्वरूप यदि मुझे निर्वासित किया जाता है, इस देश में प्रवेश से बहिष्कृत किया जाता है या संघीय कानून के अंतर्गत नागरिकता से इनकार किया जाता है, तब भी मैं इस पर कायम रहूँगा/रहूँगी।

\_\_\_\_\_

प्रतिवादी

\_\_\_\_\_

तारीख

### एटॉर्नी का पुष्टीकरण

मैं Immigration and Nationality Act की प्रासंगिक धाराओं से परिचित हूँ जैसा United States Code (संयुक्त राज्य कोड) के टाइटल 8 में संहिताबद्ध है, जो मेरे मुवक्किल की **दोष स्वीकारने या कोई दलील नहीं** की दलील के आब्रजन प्रभावों को बताता है, या मैंने उपर्युक्त कानून के जानकार एटॉर्नी से परामर्श किया है या मेरे मुवक्किल ने उपर्युक्त कानून के जानकार आब्रजन (इमिग्रेशन) एटॉर्नी से विचार-विमर्श किया है। अधोहस्ताक्षरी प्रतिवादी को इसके प्रभावों के बारे में बताते हैं और प्रतिवादी इन्हें पूरी तरह समझता/समझती है और इस याचिका को वह स्वतंत्र रूप से औरस्वेच्छा से दायर कर रहा/रही है।

\_\_\_\_\_

वकील/इमिग्रेशन वकील का पूरा नाम (कृपया नाम लिखें)

\_\_\_\_\_

प्रतिवादी के वकील के हस्ताक्षर/तारीख

इस दस्तावेज़ का अंग्रेजी से \_\_\_\_\_ में शब्दशः अनुवाद किया गया। \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ द्वारा:

\_\_\_\_\_

अनुवादक का पूरा नाम (कृपया नाम लिखें)

\_\_\_\_\_

अनुवादक के हस्ताक्षर



कम्युनिटी सुपरविज़न की शर्तों का विशेष परिशिष्ट  
Special Addendum to Terms of Community Supervision

\_\_\_\_\_नियम AA: प्रतिवादी के देखरेख की अवधि \_\_\_\_\_ महीने बढ़ा दी जाएगी। देखरेख की विस्तारित अवधि आजसे शुरू होगी और इसके समाप्त होने की तय तारीख \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन होगी।

\_\_\_\_\_नियम BB: प्रतिवादी Fort Bend County DWI Court Program (फोर्ट बेंड काउंटी DWI (मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाना) कोर्ट कार्यक्रम) में हिस्सा लेगा, सहभागिता करेगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा।

\_\_\_\_\_नियम CC: प्रतिवादी को Substance Abuse Evaluation (मादक पदार्थ के सेवन का औपचारिक मूल्यांकन) करवाना होगा और DWI कोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार किए गए तीन चरणों वाले उपचार कार्यक्रम से जुड़े तमाम निर्देशों का पालन करना होगा। यहां तय किए गए उपचार कार्यक्रम में जो खर्च आएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी।

\_\_\_\_\_नियम DD: प्रतिवादी को \_\_\_\_\_ दिनों की अवधि के लिए फ़ोर्ट बेंड CSCD (कम्युनिटी सुपरविज़न एण्ड करेक्शंस डिपार्टमेंट) के ज़रिए और अल्कोहल मॉनिटरिंग सिस्टम्स द्वारा की जाने वाली अल्कोहल संबंधी निगरानी के लिए राज़ी होना होगा। निगरानी से जुड़ी फ़ीस चुकाने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी।

\_\_\_\_\_नियम EE: DWI कोर्ट प्रोग्राम में नियुक्त वकील के निर्देश पर प्रतिवादी को अल्कोहॉलिक्स अनोनिमस की बैठकों में हिस्सा लेना होगा और भागीदारी करनी होगी। साथ ही, निर्देश के अनुसार निगरानी अधिकारी के पास इस संबंध में लिखित सत्यापन भी पेश करना होगा।

\_\_\_\_\_नियम FF: निर्देश के मुताबिक प्रतिवादी को DWI Court Treatment Program (DWI कोर्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम) के दूसरे और तीसरे चरणों के दौरान Victim Impact Panel (मादक पदार्थों का सेवन करने वालों से पीड़ितों के लिए समुदाय आधारित बैठक) में शामिल होना होगा।

\_\_\_\_\_नियम GG: प्रतिवादी के लिए तय निगरानी शुल्क को रद्द कर दिया जाएगा और प्रोग्राम के प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत होगी।

\_\_\_\_\_नियम HH: प्रतिवादी के लिए सौ (100) घंटे की कम्युनिटी सर्विस का दंड निर्धारित किया जाएगा, जिन्हें कोर्ट के निर्देशानुसार पूरा करना होगा। कम्युनिटी सर्विस के इन घंटों को अलग रखा जाएगा और प्रोग्राम संबंधी दंड ज़रूरी होने की स्थिति में लागू किया जाएगा।

\_\_\_\_\_नियम II: प्रतिवादी को कम्युनिटी सुपरविज़न एण्ड करेक्शंस डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से कैमरा युक्त इंटरलॉक डिवाइस लेना, लगवाना और चालू रखना होगा। DWI प्रोग्राम के दौरान प्रतिवादी जितने भी वाहन चलाएंगे, उन सभी वाहनों में इस आदेश के 15 दिनों के अंदर उन्हें इंटरलॉक उपकरण लगवाना होगा। इसके अलावा, प्रतिवादी को ऊपर बताए गए इंटरलॉक उपकरण को पाने, उसे लगवाने, चालू रखने और उपयोग करने से संबंधित जितने भी नियम और कानून हैं, सबका पालन करना होगा। प्रतिवादी इस बात से सहमत है कि कम्युनिटी सुपरविज़न ऑफिसर के अनुरोध पर इंटरलॉक उपकरण दिखाएगा। इस उपकरण की खरीद पर जो खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी। अगर प्रतिवादी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है और/या वह वाहन नहीं चला सकता, तो इग्निशन इंटरलॉक के बदले वह घर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण का इस्तेमाल करेगा।

\_\_\_\_\_नियम JJ: निर्देशानुसार प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Connections Department को योजना में शामिल होने का शुल्क देना होगा और यह शुल्क \$2000 से ज्यादा नहीं होगा।

\_\_\_\_\_नियम KK: प्रतिवादी ऐसा कोई ठोस ख़ाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, जिसमें सामग्री के रूप में अल्कोहल या अल्कोहल शुगर हो या जो उपयोग के बाद बाय-प्रॉडक्ट के रूप में अल्कोहल या अल्कोहल शुगर बनाता हो। प्रतिवादी डॉक्टर द्वारा लिखित ऐसी कोई भी दवा या ओवर-द-काउन्टर (बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर से मिलनी वाली दवा) दवा का सेवन नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल या अल्कोहल शुगर हो। प्रतिवादी सिर्फ़ बिना-अल्कोहल वाले माउथवॉश का इस्तेमाल करेगा।

\_\_\_\_\_नियम LL: प्रतिवादी चाहे Texas Department of Public safety द्वारा जारी अपने लाइसेंस से या फिर कोर्ट द्वारा जारी पेशेवर लाइसेंस के आधार पर वाहन चलाता हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिवादी को DWI कोर्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम के दौरान ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस या और SR-22 अपने पास रखने की जरूरत होगी। अगर प्रतिवादी DWI कोर्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम के दरमियान मोटर वाहन नहीं चलाता है, तो यह नियम लागू

नहीं होगा। कोर्ट में पेशी के दौरान और निगरानी अधिकारी से सभी मुलाकातों के दौरान प्रतिवादी को अपने इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी का सबूत लाना होगा।

प्रतिभागी को कम्यूनिटी सुपरविज़न की सभी मानक शर्तों का पालन करना होगा जिसमें DWI कोर्ट प्रोग्राम की सभी शर्तें शामिल हैं।

---

तारीख

---

प्रतिवादी

---

तारीख

---

प्रतिवादी के एटॉर्नी

---

तारीख

---

पीठासीन न्यायाधीश

S.T.E.P.

प्रभावकारी प्रोबेशन के लिए प्रतिबंध  
Sanctions Toward Effective Probation

DWI कोर्ट प्रोग्राम की शर्तों के अनुसार निगरानी के दौरान आपके द्वारा किसी भी नियम का पालन कर पाने में असफल होना इस प्रोग्राम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में आप पर संभावित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।

किसी भी समय शर्तों का उल्लंघन होने पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रोग्राम उल्लंघन के लिए जेल की सजा और/या मोशन टु रिवोक (प्रोबेशन रद्द करना) तक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रोग्राम के दंडों में निम्न शामिल हैं, पर दंड इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- 1) निगरानी टीम/न्यायाधीश द्वारा दी गई मौखिक चेतावनी
- 2) उपचार प्लान में बढ़ोतरी
- 3) उपचार प्लान की टीम द्वारा समीक्षा
- 4) नशीले पदार्थों के सेवन की जाँच/निगरानी में बढ़ोतरी
- 5) जेल की सजा

The Fort Bend County DWI court Program (द फोर्ट बेंड काउंटी कोर्ट प्रोग्राम) दोषी को मौका देने के लिए बनाया गया है, जिससे नशे के इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग संबंधी दोषी की समस्याओं के समाधान का अवसर उन्हें मिल सके। यह प्रोग्राम प्रतिबंधों, प्रोत्साहन और पुरस्कार की एक व्यवस्था पर काम करता है।

मैंने प्रतिबंध के नियम पढ़ लिए हैं या मुझे प्रतिबंध के नियम बता दिए गए हैं। प्रोबेशन की शर्तों का पालन करने में असफल रहने पर प्रोबेशन की शर्तों में होने वाले बदलावों को मैं अच्छी तरह से समझता/समझती हूँ और उनसे सहमत हूँ। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि मेरे प्रोबेशन को तुरंत जेल की सजा में बदला जा सकता है या प्रोबेशन वापस लिया जा सकता है और किसी भी समय प्रोग्राम का उल्लंघन होने पर ऊपर बताए गए दूसरे प्रतिबंध भी मुझ पर लगाए जा सकते हैं।

---

तारीख

---

प्रतिवादी

---

तारीख

---

प्रतिवादी के एटॉर्नी

---

तारीख

---

सुपरविज़न ऑफिसर

## काउंटी क्रिमिनल कोर्ट ऐट लॉ नंबर 6

DWI Court Intervention and Treatment Program (DWI कोर्ट इन्टर्वेन्शन एण्ड ट्रीट्मन्ट प्रोग्राम)

### सूचना जारी करने पर सहमति

### Consent to Release Information

---

मुवकिल का नाम

जन्मतिथि

मुवकिल मुकदमा#

यह फॉर्म DWI कोर्ट प्रोग्राम में आपकी भागीदारी के लिए जरूरी किसी भी या सारे दस्तावेज़ जारी करने की आपकी सहमति और/या आपकी अनुमति है। यह सहमति पत्र DWI कोर्ट प्रोग्राम में आपके किसी भी दस्तावेज़ या आपकी प्रगति पर चर्चा करने की अनुमति देता है:

- DWI कोर्ट प्रोग्राम के न्यायाधीश
- डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी ऑफिस
- उपचार प्रदाता
- सूपर्वाइज़िंग ऑफिसर

मैं उपचार प्रदाता, कम्युनिटी सुपरविज़न एण्ड करेक्शंस डिपार्ट्मन्ट को अपने दस्तावेज़ और/या सूचना जारी करने का अधिकार देता हूँ।

इस जानकारी का खुलासा करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य DWI कोर्ट प्रोग्राम में मेरी प्रगति में कमी की निगरानी करना, समीक्षा करना और रिपोर्ट देना है।

इस जानकारी में जिन चीजों का खुलासा होगा उसमें मेरी हाज़िरी, ड्रग्स या अल्कोहल की जाँच रिपोर्ट, प्रोग्राम में मेरा सहयोग या असहयोग शामिल है और इसके अलावा DWI कोर्ट प्रोग्राम में मेरी भागदारी से जुड़ी कोई भी या सारी जानकारी या दस्तावेज़ भी इसमें शामिल हैं।

मैं इस बारे में सचेत हूँ कि जिस जानकारी का खुलासा होगा उसमें नशीले पदार्थों के सेवन या उनके आदी होने, अल्कोहल के सेवन या आदी होने और मेरी मानसिक स्वास्थ्य के रेकॉर्ड भी शामिल हैं।

मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे रेकॉर्ड और/या अल्कोहल और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित जानकारी संघीय गोपनीयता नियमों द्वारा महफूज है और इसे तब तक मेरी लिखित सहमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि नियमों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे रेकॉर्ड और/या सूचना जारी करने की यह सहमति स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के दी गई है और जहाँ तक मैं जानता/जानती हूँ यह जानकारी पूरी तरह से सही है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि मैं किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकता/सकती हूँ, सिवाय इसके कि इसके अनुपालन में किसी भी तरह की कार्रवाई हुई है।

---

मुवकिल का नाम

जन्मतिथि

मुवकिल मुकदमा#

---

गवाह

**DWI कोर्ट इन्टर्वेंशन एण्ड ट्रीट्मन्ट प्रोग्राम मुवक्किल के साथ अनुबंध**  
**DWI Court Intervention and Treatment Program Client Contract**

मुवक्किल का नाम \_\_\_\_\_

प्रथम

अंतिम

मुकदमा संख्या \_\_\_\_\_

मैं, \_\_\_\_\_, काउंटी कोर्ट ऐट लॉ नंबर 6 DWI Court Intervention and Treatment Program में भाग लेने और इसके तहत काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह 3 चरणों वाला लगातार चलने वाला देखभाल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कम से कम 12 महीने की भागीदारी जरूरी है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि अगर मैंने इस अनुबंध में उल्लेखित बातों का पालन नहीं किया या उपर्युक्त कोर्ट के न्यायाधीश के निर्देशों का पालन नहीं किया तो मुझे इस योजना के सभी चरणों से या किसी खास चरण से फिर से गुजरना होगा। मैं आगे इस बात से सहमत हूँ कि मैं उल्लेखित योजना में भाग लेने की निम्नलिखित शर्तों को पूरी तरह मानने के लिए बाध्य हूँ:

- 1) मैं उन सपोर्ट ग्रुप्स और शराब, दवा और/ या अन्य उपचार में पूरी तरह भागीदारी करूँगा/करूँगी, जिन्हें DWI कोर्ट प्रोग्राम के निर्देश पर और मेरे उपचार के लिए तय किया गया है। मैं सहमत हूँ कि मुझे नियुक्त DWI कोर्ट निगरानी अधिकारी के देखरेख में रखा जाएगा।
- 2) मैं इस बात से सहमत हूँ कि शराब और मादक पदार्थों की जाँच के लिए और/या शराब और दूसरे मादक पदार्थों को पकड़ने वाली जाँच प्रक्रिया से गुजरने के लिए मुझे उपस्थित होना होगा और उसके परिणाम को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना होगा। मादक पदार्थों के परीक्षण और/या जाँच का तरीका और कितनी बार किया जाएगा, DWI कोर्ट प्रोग्राम और मेरे निगरानी अधिकारी के विवेक पर होगी। मैं समझता/समझती हूँ कि मादक पदार्थों के परीक्षण और/या जाँच को गलत साबित करने का कोई भी प्रयास करता हूँ तो इसके परिणाम के तौर पर मुझ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- 3) मैं उपचार से जुड़ी सभी बैठकों, पेशी की तारीखों और दूसरी तय बैठकों में भाग लूँगा/लूँगी और इनके लिए निर्धारित समय पर पहुँचूँगा/पहुँचूँगी। अगर मैं, उपचार से जुड़ी बैठक, पेशी की तारीख या दूसरी बैठकों में बीमारी या किसी अत्यावश्यक काम की वजह से नहीं पहुँच पाता/पाती हूँ, तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इसके बारे में मेजबान को फोन पर पहले से समय रहते सूचित कर दूँ। इसके अलावा, अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर को अपनी अनुपस्थिति के कारणों के बारे में बताऊँगा/बताऊँगी और उसके बारे में जरूरी सबूत भी सौंपूँगा/सौंपूँगी। यह DWI कोर्ट प्रोग्राम टीम के विवेक पर होगा कि वह मेरी अनुपस्थिति को सही मानते हैं या नहीं।

- 4) मैं जानता/जानती हूँ कि DWI कोर्ट प्रोग्राम में पूरी तरह से भाग लेने में असफल रहने, पेशी की तारीख पर पेश नहीं होने, अपने कम्यूनिटी सुपरविज़न ऑफिसर या उपचार करने वाले से न मिलने, किसी भी तरह के थेरेपी, काउंसलिंग या बैठक में भाग न लेने पर या मेरे कारण किसी दूसरी योजना के सफल न होने पर मेरे खिलाफ़ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।
- 5) मैं DWI कोर्ट प्रोग्राम को अपना वर्तमान पता और टेलीफ़ोन नंबर के साथ-साथ बीपर या मोबाइल फ़ोन नंबर बताने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि इसमें बदलाव होने पर अगले 24 घंटे के अंदर मैं निगरानी अधिकारी को इस बदलाव के बारे में निश्चित रूप से सूचित करूँगा/करूँगी।
- 6) मैं सहमत हूँ कि मैं किसी भी तरह के मादक पदार्थ या अवैध दवाओं का इस्तेमाल नहीं करूँगा/करूँगी। किसी ऐसे पदार्थ जिसमें नशीले पदार्थ हो या किसी ऐसे व्यक्ति जो नशीले पदार्थों को रखता हो उससे संपर्क नहीं रखूँगा/रखूँगी। मैं ऐसे भोजन नहीं करूँगा/करूँगी जिसमें खसखस हो, बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करूँगा/करूँगी या दवा की दुकानों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली (ओवर द काउंटर) ऐसी दवाओं को नहीं लूँगा/लूँगी जिसमें नशीला पदार्थ हो और जाँच में टेस्ट पॉज़िटिव आए।
- 7) मैं समझता हूँ कि DWI कोर्ट प्रोग्राम को अपनी दवाओं की जानकारी देने और इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। डॉक्टर का पर्चा मेरे नाम पर होगा। अगर दवाओं में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी DWI कोर्ट प्रोग्राम को देना भी मेरी जिम्मेदारी है।
- 8) मैं समझता हूँ कि अगर मैं कभी डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता/करती हूँ, तो इसकी जानकारी DWI कोर्ट प्रोग्राम को देना मेरी जिम्मेदारी होगी और यह भी बताना होगा कि ये ब्यसनी नहीं बनाती और इनमें किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं है। इन दवाओं में किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं है और ये ब्यसनी नहीं बनाती इसकी पुष्टि मेडिकल स्टोर या चिकित्सीय पेशेवर से करना भी मेरी जिम्मेदारी है।
- 9) मैं सहमत हूँ कि DWI कोर्ट प्रोग्राम टीम के सदस्य मेरे घर, आसपास के क्षेत्र और मेरे कामकाज की जगह या समुदाय में दौरा कर सकते हैं।
- 10) मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे इलाज की व्यवस्था करने वाले उपचार कर्मचारियों से मुझे सहयोग करना होगा। मैं अपनी निजी जानकारी देने वाले फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हूँ ताकि इस जानकारी के आधार पर मेरे जल्द उपचार में मदद करने के लिए दूसरे लोगों या एजेंसियों से बातचीत की जा सके।

---

प्रतिवादी

---

तारीख